भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. संख्या 7/03/2023-डीजीटीआर
भारत सरकार, वाणिज्य विभाग,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 31 मार्च 2023

<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>
<u>(मामला संख्याः एडी (एसएसआर) 02/2023)</u>

विषय: चीन जन.गण.के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "70 एलईए काउंट से कम के फ्लैक्स यार्न" के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

1. फा. संख्या 7/03/2023-डीजीटीआर: समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" या "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जय श्री टेक्सटाइल्स) और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिन्हें आगे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे ''संबद्ध देश'' भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "70 एलईए काउंट से कम के फ्लैक्स यार्न (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद'' या ''पीयूसी'' या "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।
2. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, लागू पाटनरोधी शुल्क यदि पहले न हटाया जाए, तो उसे लगाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के बाद निष्प्रभावी हो जाता है और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और

क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अनुसार, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. <u>पूर्ववर्ती जांच की पृष्ठभूमि</u>

3. प्राधिकारी ने मूल जांच शुरु की थी और अधिसूचना सं. 6/3/2018/डीजीएडी दिनांक 18 सितंबर, 2018 के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे। तत्पश्चात केन्द्र सरकार ने सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 53/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 18 अक्तूबर, 2018 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क लगाया था। उक्त शुल्क 5 वर्ष की अवधि के लिए लगाया गया था। यह शुल्क 17 अक्तूबर, 2023 को समाप्त होना निर्धारित है।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)</u>

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में यथा-परिभाषित के समान है जो निम्नानुसार है:

"7.वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद "70 एलईए काउंट से कम का फ्लैक्स यार्न (42 एनएम के समतुल्य)" है।

8.फ्लैक्स यार्न एक प्राकृतिक सेलुलोसिक फाइबर होता है जिसमें प्राकृतिक रूप से एंटीमाइक्रोबाइल, एंटीफंगल विशेषताएं होती हैं। इस यार्न को आमतौर पर 100 प्रतिशत फ्लैक्स फाइबर से बनाया जाता है और लाइनेन यार्न या फ्लैक्स यार्न कहा जाता है। फ्लैक्स फाइबर को फ्लैक्स यार्न या लाइनेन यार्न बनाने के लिए अन्य फाइबर के साथ मिश्रित भी किया जा सकता है। फ्लैक्स यार्न का प्राथमिक उपयोग फ्लैक्स फैब्रिक का निर्माण है। फ्लैक्स फैब्रिक को परिधान और घरेलू वस्त्र में प्रयोग किया जाता है।

9.सभी अन्य प्राकृतिक सुल्युलोसिक फाइबर जैसे कपास, हैम्प, जूट और रैमी वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। 70 या

उससे अधिक एलईए फ्लैक्स यार्न विचाराधीन उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर हैं।"

5. फ्लैक्स यार्न को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 53 (अन्य वेजिटेबल टेक्सटाल फाइबर; पेपर यार्न और पेपर यार्न से बुने फैब्रिक) के अन्तर्गत शीर्ष 5306 और उपशीर्ष 53061090 तथा 53062090 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। एचएस कोडो को केवल सांकेतिक माना जाता है और उत्पाद का वर्णन वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ निर्णायक है।

6. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद वही रहेगा जैसा फाइल सं. 6/3/2018-डीजीएडी दिनांक 18 सितंबर, 2018 के अधीन हुई पूर्ववर्ती जांच में परिभाषित है।

ख.1 उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन)

7. आवेदकों ने मूल जांच में यथा विचारित समान पीसीएन का प्रस्ताव किया है:

क्र.सं.	*एलईए श्रेणी*	*एनएम श्रेणी*	*पीसीएन*
1	*5 एलईए तक*	*3 एनएम तक*	*01*
2	*5 से अधिक और 10 तक*	*3 से अधिक और 6 तक*	*02*
3	*10 से अधिक और 15 तक*	*6 से अधिक और 9 तक*	*03*
4	*15 से अधिक और 20 तक*	*9 से अधिक और 12 तक*	*04*
5	*20 से अधिक और 25 तक*	*12 से अधिक और 15 तक*	*05*
6	*25 से अधिक और 30 तक*	*15 से अधिक और 18 तक*	*06*
7	*30 से अधिक और 35 तक*	*18 से अधिक और 21 तक*	*07*
8	*35से अधिक और 40 तक*	*21 से अधिक और 24 तक*	*08*
9	*40 से अधिक और 45 तक*	*24 से अधिक और 27 तक*	*09*
10	*45 से अधिक और 50 तक*	*27 से अधिक और 30 तक*	*10*
11	*50 से अधिक और 55*	*30 से अधिक और 33*	*11*

	तक	*तक*	
12	*55 से अधिक और 60 तक*	*33 से अधिक और 36 तक*	*12*
13	*60 से अधिक और 65 तक*	*36 से अधिक और 39 तक*	*13*
14	*65 से अधिक और 70 से कम*	*39 से अधिक और 42 से कम*	*14*

8. हालांकि, इच्छुक पार्टियां इस जांच के लिए प्रस्तावित पीयूसी/पीसीएन पर इस जांच के शुरू होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणी/सुझाव दे सकती हैं।

ग. <u>समान वस्तु</u>

9. आवेदकों ने दावा किया है घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पादन में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिक, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जांच में यह माना था कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद संबद्ध देश से भारत में आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु है। वर्तमान आवेदन मूल पाटनरोधी शुल्क का समय बढ़ाने के लिए समीक्षा हेतु है और चूंकि वर्तमान और मूल जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद समान है, इसलिए प्रथमदृष्टया यह माना गया है कि घेरलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु 'समान वस्तु' हैं।

घ. <u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

10. यह आवेदन मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जय श्री टेक्सटाइल्स) और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश से किसी निर्यातक/उत्पादक या भारत में आयातक से संबंधित हैं। प्राधिकारी ने याचिका की जांच की है और भारत में संबद्ध वस्तु के कुल उत्पादन को नोट करने के बाद यह पाया कि याचिकाकर्ता का उत्पादन विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन का "एक प्रमुख

हिस्सा" बनता है, इसलिए याचिकाकर्ता स्थिति को पूरा करता है और एडी नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

ड. संबद्ध देश

11. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में शामिल देश चीन जन.गण. है।

च. जांच की अवधि

12. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अक्तूबर 2021-सितंबर 2022 (12 माह) की है। क्षति जांच अवधि में 2019-20, 2020-21, 2021-22, और जांच की अवधि शामिल होगी। जांच की अवधि से बाहर के आंकड़ों की भी पाटन और क्षति की संभावना के निर्धारण हेतु जांच की जा सकती है।

छ. सामान्य मूल्य

13. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन के मामले में सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

14. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देश के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की लागत और कीमतों के बारे में जानकारी/साक्ष्य जुटाने के प्रयास किए गए थे। संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के बारे में सार्वजनिक डोमेन में विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता के अभाव में संबद्ध देश में सामान्य मूल्य का अनुमान कच्ची सामग्री और सुविधाओं के लिए घरेलू उद्योग के खपत मानकों पर विचार करते हुए तथा उसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ सहित विधिवत् रूप से समायोजित करके उत्पादन लागत के आधार पर लगाया गया है। प्राधिकारी ने प्रथमदृष्टया इस जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ताओं द्वारा यथा-उपलब्ध कराए गए परिकलित मूल्यों के आधार पर संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

15. तथापि, प्रश्नावली का उत्तर देते समय उत्पादकों/निर्यातकों को घरेलू बाजार में और भारत तथा अन्य देशों को निर्यात में संबद्ध वस्तु के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री से संबंधित बाजार दशाओं के प्रचलित होने को दर्शाना होगा। इस प्रयोजनार्थ उत्पादक/निर्यातक स्पष्ट कर सकते हैं और निम्नलिखित के संबंध में पर्याप्त सूचना दे सकते हैं:

क) कीमत, लागत, कच्ची सामग्री सहित निविष्टियों, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्री और निवेश के संबंध में निर्णय राज्य के किसी खास हस्तक्षेप के बिना लिए जाते हैं और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत पर्याप्त रूप से बाजार मूल्य दर्शाती है।

ख) उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति में कोई विकृति नहीं है।

ग) उत्पादक/निर्यातक दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन के लिए कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं।

घ) विनिमय दर परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं।

16. हितबद्ध पक्षकारों को उनकी टिप्पणियां देने और अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति के संबंध में विधिवत रूप से साक्षांकित दावे इस अधिसूचना में विहित समय सीमा के भीतर करने की सलाह दी जाती है।

ज <u>निर्यात कीमत</u>

17. आवेदकों ने गौण स्रोत के आकड़ों में सूचित सीआईएफ कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत परिकलित की है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, अंतरदेशीय भाड़ा और कमीशन के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं। आवेदकों द्वारा दावा की गई निर्यात कीमत इस जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्रथमदृष्टया स्वीकार्य है।

झ <u>पाटन मार्जिन</u>

18. ऊपर निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए यह नोट किया गया है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस बात के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से अधिक है जिससे पता चलता है कि संबद्ध देश की मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पाटित कीमतों पर निर्यातित की जा रही है और इस प्रकार निरंतर पाटन का पता चलता है।

ञ. <u>क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना</u>

19. मौजूदा शुल्कों के बावजूद पाटन की संभावना और संबद्ध देश से निरंतर पाटित आयातों के कारण परिणामी क्षति की आशंका, चीन के उत्पादकों की भारी क्षमता, अधिक निर्यातोन्मुख

होना, चीन के उत्पादकों द्वारा तीसरे देश में पाटन, भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता, भारतीय उद्योग की संवेदनशीलता, भारतीय मांग के संबंध में संबद्ध देश से भारी क्षतिकारी निर्यात, आयातों के संभावित ह्रासकारी प्रभाव और शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं। आवेदकों द्वारा दी गई सूचना प्रथमदृष्टया संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन की संभावना और पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना दर्शाती है।

ट. <u>निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत</u>

20. आवेदकों के विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने/उनकी पुनरावृति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वंय को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लागू शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है, एतद्द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं।

ठ. <u>प्रक्रिया</u>

21. वर्तमान समीक्षा जांच में अधिसूचना सं. 6/3/2018/डीजीएडी दिनांक 18 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल हैं। प्राधिकारी पाटन और क्षति का एक संभावना विश्लेषण भी करेंगे।
22. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

ड. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

23. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर, निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adgl6-dgtr@gov.in, और advl3-dgtr@gov.in तथा उसकी प्रति jd16-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।

24. संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर पैरा 23 में उल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने हेतु उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें ।

ढ. <u>समय सीमा</u>

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों adgl6-dgtr@gov.in, advl3-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in, और dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को उसे दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ण. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है ।

31. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

32. "गोपनीय" या "अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या "अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

33. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

34. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई(यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्त के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे संबंधी अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

35. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

36. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

37. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

त. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

38. सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वैबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं रहेगी।

थ. <u>असहयोग</u>

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

3/12

(अनन्त स्वरूप)

निर्दिष्ट प्राधिकारी